

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर

अनवान बनाम.....

प्रकरण संख्या...../ अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं जो इस आदेश पालना में है
२१/६/२२	<p>प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची व प्राची अधिवक्ता को रुक-रू कर उबार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्राप्ति पत्र अन्तर्गत धारा २५(१) RTA इसी स्तर पर अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पुत्रावली निगति होकर गूम्बर से कम होकर दखिल दफतर हो</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर